सं.एस-12015/1/2018-प्रैस

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 5 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पत्रकार कल्याण योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 28.03.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में अधोहस्ताक्षरी को पत्रकारों और उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाई में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पत्रकार कल्याण योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को भारत सरकार की संस्वीकृति संसूचित करने का निदेश हुआ है। दिशा-निर्देशों की प्रति इसके साथ अग्रेषित की जाती है।

(प्रेम चन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23385795

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

जारी किया
12-3-19

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया एककों को।
2. जेडब्ल्यूएस समिति के सभी सदस्यों को।
3. भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, नई दिल्ली।
4. पीआरएस अनुभाग, पीआईबी, एनएमसी, रायसीना रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

OSD

1. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के ~~निजी~~ सचिव।
2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

पत्रकार कल्याण स्कीम हेतु दिशानिर्देश

(दिनांक 5 मार्च, 2019 को यथा संशोधित)

1	स्कीम का शीर्षक	इस स्कीम को पत्रकार कल्याण स्कीम कहा जाता है।
2	प्रचालन की अवधि	यह स्कीम 5 मार्च, 2019 को प्रवृत्त होगी।
3	स्कीम का प्रयोजन	सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अतिसंवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखे इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह सतत प्रयास है कि वह पत्रकारों तथा उनके परिवारों को अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी समयबद्ध तथा पारदर्शी रूप से सहायता प्रदान करे। तदनुसार, इस स्कीम का उद्देश्य पत्रकारों तथा उनके परिवारों को तत्काल अधार पर एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करना है।

इस स्कीम के प्रयोजनार्थ किसी पत्रकार से आशय होगा:-

(i) कार्यरत पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्त) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत यथा परिभाषित कार्यरत पत्रकार अथवा

(ii) 'मीडिया कार्मिक' जिनका मुख्य व्यवसाय रेडियो अथवा टीवी के समाचार चैनलों के लिए रिपोर्टिंग/संपादन करना है तथा जो पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक पत्रकार के रूप में नियोजित है अथवा जो एक या एक से अधिक ऐसे संस्थानों से जुड़ा है तथा जिसमें समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरा मैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार शामिल हैं परंतु जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो -

क) मुख्यतया प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक क्षमता में नियोजित है, अथवा

ख) पर्यवेक्षण क्षमता में नियोजित किया जा रहा है तथा जो अपने पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के अनुसार अथवा उसमें निहित शक्तियों के आधार पर मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकृति वाला कार्य करता है।

इस स्कीम के उद्देश्य के लिए परिवार से अभिप्राय पत्रकार, उनके पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता तथा आश्रित बच्चों से होगा।

4	स्कीम का संघटन तथा उसका प्रशासन	इस स्कीम को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत संघटित किया जाएगा तथा उसका प्रशासन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

सचिव (सूचना और प्रसारण) - अध्यक्ष
प्रधान महानिदेशक, पीआईबी - सदस्य
संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशा.) - सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य: 20 मार्च, 2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए -

क्र.सं.	गैर-सरकारी सदस्यों के नाम	संबंधित संस्थान
1.	श्री विकास भदौरिया	टीवी पत्रकार, एबीपी न्यूज
2.	श्रीमती ऋचा अनिरुद्ध	स्वतंत्र पत्रकार एवं टीवी समाचार उद्घोषक
3.	श्री अशोक उपाध्याय	यूएनआई प्रमुख
4.	श्री सुजीत ठाकुर	इंडिया टुडे
5.	सुश्री शिप्रा दास	स्वतंत्र फोटोजर्नलिस्ट
6.	श्री रविन्द्र सिंह	टीवी पत्रकार जी न्यूज

इस समिति की एक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त मामलों पर निर्णय लिया जा सके। तथापि, मंत्रालय में प्राप्त तात्कालिक स्वरूप के मामलों, जिनमें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, मामलों की तत्कालिकता पर निर्भर करते हुए अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझे उतनी बार समिति की बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

5	स्कीम से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	कोई पत्रकार स्कीम से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि:-

1) वह भारत का नागरिक हो,

2) वह सामान्य रूप से भारत का निवासी हो,

3) उसे भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय का प्रत्यायन अथवा राज्य/संघ-राज्य सरकारों में स्थित उसके मुख्यालयों का प्रत्यायन प्राप्त हो।

4) ऐसा पत्रकार जिसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकार से वर्तमान में प्रत्यायन प्राप्त न हो, वह भी इस स्कीम से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार वह न्यूनतम लगातार पांच वर्षों के लिए पत्रकार रहा हो।

6.	स्कीम से संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु क्रियाविधि	उक्त स्कीम से सहायता प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें विशिष्ट सिफारिश तथा समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ समिति को भेज दिया जाएगा। समिति द्वारा सिफारिश पर विचार किया जाएगा तथा उस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारी पीआईबी के साथ परामर्श करके समिति को सचिवीय सहायता मुहैया कराएंगे, तथापि, ऐसे अधिकारी समिति के भाग नहीं होंगे। भारत सरकार के नामिती, जो वित्तीय मामलों के संबंध में सरकारी नियमों, क्रियाविधि से अवगत हैं तथा जो वित्तीय स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, का निर्णय अंतिम होगा।
7.	आवेदन पत्र	इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी आवेदन अनुसूची-I में विनिर्धारित प्रपत्र में प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पीआईबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा कोई अन्य अतिरिक्त सूचना मांगी जा सकती है। जब कभी आवश्यक होगा तब समिति आवेदन के प्रारूप में संशोधन कर सकती है। समिति पत्रकार/लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त हुए बिना स्व-प्रेरणा से वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मामलों पर संज्ञान ले सकती है।
8.	स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता	i) पत्रकार की मृत्यु के कारण अत्यधिक विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवार को 5 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। ii) ऐसी स्थाई अक्षमता, जिसके कारण कोई पत्रकार आजीविका चला पाने में अक्षम हो, के मामले में उस पत्रकार को 5 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। iii) कैंसर, गुर्दे की खराबी, हृदय की ऐसी बीमारी जिसमें बाईपास/ओपन हॉर्ट सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी, मस्तिष्क रक्तस्राव तथा पक्षाघात आदि जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए 3 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सीजीएचएस अथवा किसी अन्य बीमा/विभागीय स्वास्थ्य स्कीमों आदि के अंतर्गत कवर न किए जा रहे चिकित्सा व्यय के अध्यधीन होगा। इस प्रावधान के अंतर्गत गैर प्रत्यायित पत्रकारों के मामले में ऐसे पत्रकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो।

तथापि, इस प्रावधान के अंतर्गत मामले की परिस्थितियों/मेरिट के संबंध में 65 वर्ष की आयु सीमा पात्रता में समिति छूट दे सकती है।

(iv) ऐसी दुर्घटनाओं, जिनमें गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हो, के मामले में 2 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सीजीएचएस अथवा किसी अन्य बीमा/विभागीय स्वास्थ्य स्कीमों आदि के अंतर्गत कवर न किए जा रहे चिकित्सा व्यय के अध्यधीन होगा। तथापि, गैर-प्रत्यायित पत्रकारों के मामले में उपर्युक्त (ii), (iii) तथा (iv) में उल्लिखित परिस्थितियों के लिए उपलब्ध सहायता राशि ऐसे पत्रकारों के लिए एक लाख रु. होगी जिन्होंने लगातार 5 वर्षों तक कार्य किया हो तथा इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के कार्यकरण के लिए उसी प्रकार एक लाख रु. की राशि प्रदान की जाएगी जो प्रत्येक मामले में उपबंधित अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी।

9. अपवाद — इन दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट किसी बात के न होते हुए भी यदि किसी अत्यधिक विशिष्ट/आपवादिक मामलों में समिति को ऐसा आवश्यक प्रतीत होता है तो वह माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदनार्थ उच्च स्तर की सहायता की अनुशंसा कर सकती है अथवा दिशानिर्देशों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश कर सकती है।

10. स्कीम से किया जाने वाला भुगतान — वित्त वर्ष के दौरान पत्र कल्याण स्कीम के लिए उद्दिष्ट बजटीय आवंटनों से भुगतान किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में ही हस्तांतरित किया जाएगा।

11. सामान्य — स्कीम से किसी भी कार्यरत पत्रकार को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अधिकार से जुड़ा मामला नहीं है। मामलों की पात्रता/तथ्यपरकता के संबंध में समिति की संतुष्टि तथा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर सहायता राशि का विस्तार किया जाएगा। समिति बिना कोई कारण बताए किसी आवेदन को अस्वीकृत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार रखती है।